

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा फरवरी 2019 माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- i. कर्मचारी चयन आयोग ने फरवरी माह के दौरान निम्नलिखित दो परीक्षाएं आयोजित की हैं :-
 - क) 4.37 लाख अभ्यर्थियों के लिए 05 से 08 फरवरी, 2019 के दौरान आशुलिपिक ग्रेड 'ग' एवं 'घ' परीक्षा-2018।
 - ख) 28.76 लाख अभ्यर्थियों के लिए सीएपीएफ, एनआईए और एसएसएफ में सिपाही (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल में राइफल मैन (सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा।
 - ii. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में श्री राजीव नयन चौबे की नियुक्ति को दिनांक 07.02.2019 की अधिसूचना सं. 39019/05/2018-स्था.(ख) के माध्यम से अधिसूचित किया गया।
 - iii. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची 'क' और 'ख' के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में 7 मामलों में (03 अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक और 04 प्रकार्यात्मक निदेशकों) नियुक्तियों को अनुमोदित किया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की चौदह (14) नियुक्तियों, स्वायत्तशासी निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यकारियों की दो (02) नियुक्तियों, समय-पूर्व प्रत्यावर्तनों के तीन (03) प्रस्तावों, मंत्रियों के विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति के तीन (03) प्रस्तावों और समय विस्तार के सात (07) प्रस्तावों को मंत्रिमंडल सचिव/मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
 - iv. 17 अनुभाग अधिकारियों को तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया।
 - v. 17 अवर सचिवों को तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया।
 - vi. 02 अधिकारियों को संयुक्त सचिव (स्व-स्थाने) के रूप में पैनलबद्ध किया गया।
2. उपर्युक्त के अतिरिक्त इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों के संबंध में निम्नलिखित अनुदेश/दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गए :-

- क) सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964- दिनांक 07.02.2019 के का.जा.सं. 11013/6/2018-स्था.क-III के माध्यम से शेरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों इत्यादि की खरीद और बिक्री के लेनदेन के संबंध में सूचित करने की समय-सीमा में संशोधन।
- ख) दिनांक 07.02.2019 के का.जा.सं. 2/8/2018-स्था.(वेतन-II) के माध्यम से मंत्रियों के निजी स्टाफ में नियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता/वेतन निर्धारण की दरों में संशोधन।
- ग) दिनांक 25.02.2019 के का.जा.सं. 14017/32/2013-स्था.(आरआर) के माध्यम से संशोधित नमनीय पूरक योजना (एमएफसीएस) के अंतर्गत स्व-स्थाने पदोन्नति के लिए छुट्टी की अवधि को निम्नतम रेसीडेंसी अवधि के लिए माना जाना।
- घ) दिनांक 28.02.2019 के का.जा.सं. 1/4/2017-स्था. वेतन-I) के माध्यम से सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के संदर्भ में एफआर 35 के अंतर्गत स्थानापन्न वेतन की अधिकतम सीमा निर्धारित करना।

अनुलग्नक

क. अंतर-मंत्रालीय परामर्श की अवधि बढ़ जाने के कारण रूके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले: -

ख. सचिवों की समिति सीओएस के निर्णयों का अनुपालन: -

ग. तीन माह से अधिक समय से अभियोजन के लिए लंबित मंजूरी दिए जाने वाले मामलों की संख्या:

04

घ. ऐसे मामलों के ब्यौरे जिनमें कार्य संव्यवहार नियम अथवा सरकार की स्थापित नीति से हट कर कोई कार्रवाई की गई हो: -

ड.. ई-शासन के कार्यान्वयन की स्थिति:

फरवरी, 2019 में शुरू की गई कुल फाइलों की संख्या	
पंपरागत (भौतिक) रूप में शुरू की गई फाइलें : 561	ई-फाइलें : 24

च. लोक शिकायतों की स्थिति:

माह के दौरान निवारण की गई लोक शिकायतों की संख्या: 1203	माह के अंत में लम्बित लोक शिकायतों की संख्या: 1411
---	---

छ. मंत्रालय/विभाग द्वारा शासन और विकास में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों और अनुप्रयोगों के प्रयोग के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों के संबंध में जानकारी: -